

राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(साधारण बीमा निधि)


द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005
e-mail add.gis.sipf@rajasthan.gov.in Phone No. 0141-2740219

क्रमांक : GIF/81/GPA/Centralization/2023-24/2063-2076 दिनांक : 10.01.24

परिपत्र (218)

विषय :- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को ऑनलाईन, पेपरलेस एवं केन्द्रीकृत किये जाने के संबंध में।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के आदेश क्रमांक प.5(14)वित्त/बीमा/2022 जयपुर, दिनांक 16.06.2023 के अनुसार, जीपीए योजना के प्रस्ताव पत्र, मनोनयन, दावा प्रस्तुतिकरण, प्रीमियम सत्यापन, दावा निस्तारण, आदि की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एवं पेपरलेस पैटर्न पर विकसित कर दी गई है, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (जीपीए) पॉलिसी वर्ष 2023-24 की केन्द्रीकृत व्यवस्था के लिए परिपत्र क्रमांक :GIF/81/GPA/Centralization/2023-24/1391 दिनांक : 30.10.2023 एवं 955 दिनांक 04.12.2023 जारी किया गया था जिसमें समस्त कार्मिको (राज्यकर्मी व पुलिसकर्मी) को स्वयं का एवं नॉमिनी का विवरण MCDBY पोर्टल पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत जीपीए प्रोफाइल आवश्यक रूप से दिनांक 31.12.2023 तक अपडेट करने के लिए निर्देशित किया गया था, किन्तु सभी कार्मिको द्वारा अपना जीपीए प्रोफाइल अपडेट नहीं किया गया। अतः कार्मिक "मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना" (MCDBY) पोर्टल पर उपलब्ध GPA प्रोफाइल पर स्वयं का एवं नॉमिनी का विवरण 31.01.2024 तक आवश्यक रूप से अपडेट कर लेवे।


(अरुण नन्दा)
अतिरिक्त निदेशक
साधारण बीमा निधि
दिनांक

क्रमांक : GIF/81/GPA/Centralization/2023-24
प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
7. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
8. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग.....

9. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
10. परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को प्रेषित कर लेख है कि MCDBY पोर्टल पर जीपीए प्रोफाइल अपडेट की रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
11. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र की प्रति समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी को भिजवाकर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
12. सहायक लेखाधिकारी, सावीनि, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

(ऋतु नन्दा)

अतिरिक्त निदेशक
साधारण बीमा निधि

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
जयपुर

(ऋतु नन्दा)

अतिरिक्त निदेशक
साधारण बीमा निधि

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
जयपुर